भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 51
सोमवार, 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)
प्रवासी कामगारों संबंधी आँकड़े

†51. **श्री बापी हलदर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीकृत की गई फर्मों से संबंधित आंकड़ों को सुरक्षित बनाए रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ई-श्रम पोर्टल विशेष रूप से श्रमिकों के मूल राज्य और उनके वर्तमान कार्यस्थल के संबंध में डेटा एकत्र करता है; और

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अपने कार्यस्थल पर मरने वाले प्रवासी श्रमिकों के नाम क्या हैं और उनका वर्षवार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए, अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 अंतर- राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और ठेकेदारों को लाइसेंस दिए जाने का उपबंध करता है। ऐसे प्रतिष्ठान में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, निवास स्थान, चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षात्मक कपड़ों आदि के लिए राशि का भुगतान किया जाना होता है।

इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ (ओएसएच) संहिता, 2020 में शामिल कर लिया गया है। ओएसएच संहिता , प्रवासी कामगारों सहित सभी श्रेणी के संगठित और असंगठित कामगारों को उपयुक्त कार्य दशाएँ, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, टोल फ्री हेल्पलाइन, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, सुदृढ़ संरक्षा और पात्रता की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के साथ, यह संहिता कामगारों को, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को श्रम अभिशासन के केंद्र में दृढ़ता से रखते हैं। यह संहिता प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होगी जिसमें दस या इससे अधिक अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार कार्यरत हैं अथवा पिछले बारह माह में किसी भी दिन कार्यरत थे।

केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के तहत प्रवर्तन प्राधिकारी केंद्रीय क्षेत्र में पंजीकृत प्रतिष्ठानों और लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों का नियमित निरीक्षण करते हैं। राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र में उपबंधों को लागू करने के लिए अधिदेश दिया गया है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में कामगारों का प्रवास एक निरंतर प्रक्रिया है तथा इसकी प्रकृति गतिशील है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को असंगठित कामगारों के एक राष्ट्रीय डेटाबेस ईश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। ईएसएचआरएएम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के तहत ऐसे कामगारों के लिए वितरण को सुविधाजनक बनाना है। यह असंगठित कामगार को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की सुविधा देता है। दिनांक 26.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, प्रवासी कामगारों सहित 31.37 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है ।

***

*

अनुबंध

"प्रवासी कामगारों संबंधी आँकड़े" के संबंध में श्री बापी हलदर, सांसद (लोकसभा) द्वारा दिनांक 01.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 26.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या :

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल पंजीकरण
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34,964
आंध्र प्रदेश	87,58,597
अरुणाचल प्रदेश	2,12,469
असम	77,78,917
बिहार	3,20,57,810
चंडीगढ़	1,89,606
छत्तीसगढ	86,27,858
दिल्ली	36,01,109
गोवा	87,196
गुजरात	1,22,68,537
हरियाणा	54,12,778
हिमाचल प्रदेश	20,11,075
जम्मू और कश्मीर	36,11,005
झारखंड	97,86,446
कर्नाटक	1,09,80,222
केरल	60,92,199
लद्दाख	35,068
लक्षद्वीप	2,858
मध्य प्रदेश	1,91,21,802
महाराष्ट्र	1,81,80,126
मणिपुर	4,69,279
मेघालय	3,58,382
मिजोरम	72,627
नागालैंड	2,42,114
ओडिशा	1,36,62,830

पुदुचेरी	1,97,329
पंजाब	59,05,009
राजस्थान	1,51,11,274
सिक्किम	50,236
तमिलनाडु	94,79,472
तेलंगाना	46,01,424
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	75,629
त्रिपुरा	9,00,043
उत्तर प्रदेश	84,15,1840
उत्तराखंड	3,10,0392
पश्चिम बंगाल	2,65,34,544
कुल	**31,37,63,066**

****